निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 17 पटना, बुधवार, 9 वैशाख 1937 (श0)
29 अप्रील 2015 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-17
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	
पूरक	---
पूरक-क	18-29

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

पटना उच्च न्यायालय, पटना

अधिसूचना

16 जनवरी 2015

सं० 16 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–13 की उप–धारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ–3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा–261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं
1.	2.	3.
1.	श्री कौशल कुमार, भा0 प्र0 से0, अनुमण्डल पदाधिकारी, नरकटियागंज।	नरकटियागंज अनुमण्डल
2.	श्री सुनील कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया सदर।	बेतिया अनुमण्डल
3.	श्री अखिलेश्वर प्रसाद वर्मा, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेतिया।	बेतिया अनुमण्डल
4.	श्री अरूण कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेतिया सदर।	बेतिया अनुमण्डल
5.	श्री विपिन कुमार यादव, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बगहा।	बगहा अनुमण्डल
6.	श्री वृन्दालाल, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगहा।	बगहा अनुमण्डल

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, **महानिबंधक।**

The 16th January 2015

No. 16 A—In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub-Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No	Name of the Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Kaushal Kumar, IAS, SDO, Narkatiaganj	Narkatiaganj Sub-Division
2.	Sri Sunil Kumar SDO, Bettiah Sadar	Bettiah Sub-Division
3.	Sri Akhileshwar Prasad Verma, L.R.D.C., Bettiah	Bettiah Sub-Division
4.	Sri Arun Kumar, Executive Magistrate, Bettiah Sadar	Bettiah Sub-Division
5.	Sri Vipin Kumar Yadav, Executive Magistrate, Nagar Parisad, Bagaha	Bagaha Sub-Division
6.	Sri Vrindalal, L.R.D.C. Bagaha	Bagaha Sub-Division

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

---

16 जनवरी 2015

सं० 15 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा–11 की उप–धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ–3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1.	2.	3.
1.	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, मुंसिफ, रक्सौल, मोतिहारी	पूर्वी चम्पारण
2.	श्री सूर्य कान्त तिवारी मुंसिफ, सासाराम	रोहतास

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 16th January 2015

No. 15 A—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrates of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting with judgeship	Name of the District
1	2	3
1.	Sri Suresh Kumar Srivastava, Munsif, Raxaul at Motihari	East Champaran
2.	Sri Surya Kant Tiwary, Munsif, Sasaram	Rohtas

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

19 जनवरी 2015

सं० 23 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा–11 की उप–धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ–3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1.	2.	3.
1.	श्री नीरज किशोर, मुंसिफ, मधुबनी (मधुबनी)	मधुबनी

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 19th January 2015

No. 23 A—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrates of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting with judgeship	Name of the District
1	2	3
1.	Sri Neeraj Kishore, Munsif, Madhubani (Madhubani)	Madhubani

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

---

11 फरवरी 2015

सं० 59 नि0—श्री जितेन्द्र कुमार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुंगेर को सेवानिवृत श्री शंभु नाथ सिंह– 2 के स्थान पर नालंदा (बिहार शरीफ) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 11th February 2015

No. 59A—Sri Jitendra Kumar, Principal Judge, Family Court, Munger, is transferred and posted as District and Sessions Judge of Nalanda at Biharsharif vice Sri Shambhu Nath Singh II, retired.

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

---

11 फरवरी 2015

सं० 60 नि0—उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तंभ–3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए विधि विभाग के ज्ञाप सं0– 1806/जे. दिनांक 13.04.1992 तथा 1604/जे. दिनांक 21.04.1999 में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन वादों के निष्पादन हेतु सुपुर्द करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

इन्हें अपने–अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए इन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

इन्हें विधि विभाग के उपरोक्त ज्ञाप सं0 में उल्लिखित आर्थिक अपराधों से संबंधित मुकदमों के निष्पादन हेतु स्थापित विशेष न्यायालयों, जिसका क्षेत्राधिकार स्तंभ–3 में उल्लिखित है, और जिसका मुख्यालय स्तंभ–4, में उल्लिखित है, के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए भी नियुक्त किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान	क्षेत्राधिकार	मुख्यालय
1	2	3	4
1.	श्री सूर्यकान्त सिंह, अवर न्यायाधीश प्रथम–सह–अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना	पटना, नालंदा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई एवं खगड़िया	पटना
2.	श्री रामचन्द्र प्रसाद, अवर न्यायाधीश प्रथम–सह–अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी एवं बेगूसराय	मुजफ्फरपुर
3.	श्री राजेश कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश प्रथम–सह–अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा	पूर्णियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 11th February 2015

No. 60A—The High Court have been pleased to confer upon the Officers named in column no. 2 of the table given below, the powers for trial or to commit for trial of cases with respect to the offences under the acts as mentioned in Law Department memo nos. 1806/j, dated 13.04.1992 and 1604/J, dated 21.04.1999 for the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the given table.

The Court are further pleased to confer upon them the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try.

These officers are also appointed to act as Presiding Officer of Special Court established with headquarters as mentioned against their names in column no. 4 of the table, having Jurisdiction as mentioned in column no. 3, for trial of cases relating to Economic Offences under the Act mentioned in the Law Department's aforesaid memos.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and place of posting	Territorial Jurisdiction	Headquarter of the Court
1	2	3	4
1.	Sri Suryakant Singh, Sub Judge I-cum-A.C.J.M.-cum-A.S.J.,Patna	Patna, Nalanda, Rohtas, Bhabhua, Bhojpur, Buxar, Gaya, Jehanabad, Aurangabad, Nawadah, Bhagalpur, Banka, Munger, Jamui and Khagaria	Patna
2.	Sri Ram Chandra Prasad, Sub Judge I-cum-A.C.J.M.-cum-A.S.J., Muzaffarpur	Muzaffarpur, Sitamarhi, Vaishali, East Champaran, West Champaran, Saran, Siwan, Gopalganj, Darbhanga, Samastipur, Madhubani and Begusarai	Muzaffarpur
3.	Sri Rajesh Kumar Shukla, Sub Judge I-cum-A.C.J.M.-cum-A.S.J.,Purnea.	Purnea, Araria, Kishanganj, Katihar, Saharsa, Supaul and Madhepura	Purnea

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

20 फरवरी 2015

सं० 65 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि) को इसी तालिका के स्तम्भ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के संवर्ग में प्रोन्नत कर अवर न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

क्रम सं0	**पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)**	**(अ) नए स्थान पर का पदनाम** **(ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान** **(स) जजी जहाँ प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्त किए जाते हैं।**
1.	**2.**	**3.**
1	**श्री बादू प्रसाद,** अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)	**अ) अवर न्यायाधीश** **ब)** हाजीपर **स)** वैशाली

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 20th February 2015

No. 65A—The Judicial Officer of the cadre of Civil Judge (Junior Division), named in column no. 2 of the table given below, on promotion to the cadre of Civil Judge (Senior Division), is appointed to act as Subordinate Judge (Civil Judge, Senior Division) in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table :

Sl. No.	**Name of the Officer, designation and present place of posting (with Judgeship)**	**(a) Designation at the new station** **(b) Place where the officer is to be stationed at** **(c) Name of the Judgeship in which appointed on promotion**
1.	**2.**	**3.**
1.	Sri Barhu Prasad S.D.J.M., Hajipur (Vaishali)	a) Sub Judge b) Hajipur c) Vaishali

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

---

18 फरवरी 2015

सं० 64 नि0—पूर्व में सेवानिवृत संयुक्त निबंधक श्री उदय प्रकाश सिंह एवं सेवानिवृत संयुक्त निबंधक श्री अजित नारायण लाल के स्थान पर माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार **श्री भवेन्द्र झा, उप निबंधक एवं श्री मिथिलेश प्रसाद शर्मा, वरीय सचिव, पटना उच्च न्यायालय, पटना** को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर वेतन बैंड रू0 37,400–67,000 जोड़ ग्रेड वेतन रू0 8,700 (पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 14,300–18,300 में नियमानुसार अनुमान्य विशेष वेतन के साथ पटना उच्च न्यायालय, पटना का **संयुक्त निबंधक** नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, **महानिबंधक ।**

The 18th February 2015

No. 65A— A: The Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarily, on promotion, **Sri Bhavendra Jha, Deputy Registrar and Sri Mithilesh Prasad Sharma, Senior Secretary, Patna High Court, Patna, as Joint Registrar, Patna High Court, Patna** in the Pay Band of Rs. 37,400–67,000 plus Grade Pay of Rs. 8,700 (pre revised pay scale Rs. 14,300-18,300) with special pay as admissible under the rules with effect from the date they assume charge as such vice Sri Uday Prakash Singh, since retired and Sri Ajit Narayan Lall, retired, respectively.

By order of the Hon'ble the Chief Justice,
Vinod Kumar Sinha, Registrar General.

20 फरवरी 2015

सं० 68 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों (असैनिक न्यायाधीश वरीय कोटि) को तालिका के स्तम्भ–3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित न्यायमंडल एवं स्थान पर अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) नियुक्त किया जाता है।

क्रम सं0	**पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (न्यायमंडल सहित)**	**अ) नए स्थान पर का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) न्यायमंडल जहाँ स्थानान्तरोपरांत नियुक्त किये जाते हैं।**
1.	**2.**	**3.**
1.	श्री परमानन्द मौर्य अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), लखीसराय (लखीसराय)	अ) अवर न्यायाधीश, (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) ब) गोपालगंज स) गोपालगंज
2.	श्री प्रभुनाथ प्रसाद अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), बेनीपुर (दरभंगा)	अ) अवर न्यायाधीश, (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) ब) गोपालगंज स) गोपालगंज
3.	श्री अनिल कुमार मिश्रा अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), जहानाबाद (जहानाबाद)	अ) अवर न्यायाधीश, (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) ब) औरंगाबाद स) औरंगाबाद
4.	श्री शत्रुधन सिंह अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), मधेपुरा (मधेपुरा)	अ) अवर न्यायाधीश, (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) ब) बिहारशरीफ स) नालंदा
5.	श्री महेश प्रसाद सिंह अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), गोपालगंज (गोपालगंज)	अ) अवर न्यायाधीश, (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) ब) लखीसराय स) लखीसराय

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 20 th February 2015

No. 65A—: The Subordinate Judges (Civil Judge, Sr. Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Subordinate Judges in the Judgeships to be stationed ordinarily at the places mentioned against their respective names in column no. 3 of the table.

Sl. No.	**Name of the Officers with designation and present place of posting (with judgeship)**	**(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer**
1.	**2.**	**3.**
1.	Sri Parmanand Maurya, Sub Judge (Civil Judge, Sr. Division), Lakhisarai (Lakhisarai)	a) Sub Judge (Civil Judge, Sr. Division) b) Gopalganj c) Gopalganj

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting (with judgeship)	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer
1.	2.	3.
2.	Sri Prabhunath Prasad, Sub Judge (Civil Judge, Sr. Division), Benipur (Darbhanga)	a) Sub Judge (Civil Judge, Sr. Division) b) Gopalganj c) Gopalganj
3.	Sri Anil Kumar Mishra, Sub Judge (Civil Judge, Sr. Division), Jehanabad (Jehanabad)	a) Sub Judge (Civil Judge, Sr. Division) b) Aurangabad c) Aurangabad
4.	Sri Shatrughan Singh, Sub Judge (Civil Judge, Sr. Division), Madhepura (Madhepura)	a) Sub Judge (Civil Judge, Sr. Division) b) Biharsharif c) Nalanda
5.	Sri Mahesh Prasad Singh, Sub Judge (Civil Judge, Sr. Division), Gopalganj (Gopalganj)	a) Sub Judge (Civil Judge, Sr. Division) b) Lakhisarai c) Lakhisarai

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

---

4 फरवरी 2015

सं० 49 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा–11 की उप–धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ–3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1.	2.	3.
1.	श्री संजीव कुमार चंधरियावी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी–सह–अपर मुंसिफ, गया	गया

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 4th February 2015

No. 65A—: In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No	Name of the Officer with designation and present place of posting	Name of the District
1.	2.	3.
1.	Sri Sanjeev Kumar Chandriyavi Judicial Magistrate 2nd Class-cum-A.M., Gaya	Gaya

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

20 फरवरी 2015

सं० 67 नि0—श्री अरूण कुमार झा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कटिहार को श्री विधु भूषण पाठक, जो निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु अनुशंसित हैं, के स्थान पर भोजपुर, आरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 20th February 2015

No. 67 **A**:—Sri Arun Kumar Jha, Principal Judge, Family Court, Katihar is transferred and posted as District and Sessions Judge of Bhojpur at Ara vice Sri Bidhu Bhushan Pathak, recommended for appointment to the post of Registrar, State Commission, Consumer Protection, Patna, on deputation basis.

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

---

16 फरवरी 2015

सं० 63 नि0:—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा–11 की उप–धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ–3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1.	2.	3.
1.	श्री चन्द्र मनी कुमार, मुंसिफ, मसौढ़ी, पटना।	पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 16th February 2015

No. **63 A**:— In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrates of the 1st Class for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No	Name of the Officer with designation and present place of posting with Jugeship	Name of the District
1.	2.	3.
1.	Sri Chandra Mani KumarMunsif, Masaurhi	Patna

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

---

25 फरवरी 2015

सं० 72 नि0:— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–13 की उप–धारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ–3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा–261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
1	2	3
1.	श्री सुनील कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
2.	डॉ0 नुरूल हक सिवानी, अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
3.	श्री कपिलेश्वर मिश्रा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्वी, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
4.	श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 25th February 2015

No. **72 A**:— In exercise of the powers conferred upon the High Court under Sub-Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Sunil Kumar, S.D.O., East, Muzaffarpur	Muzaffarpur (E) Subdivision
2.	Dr. Nurul Haque Siwani, S.D.O., West, Muzaffarpur	Muzaffarpur (W) Subdivision
3.	Sri Kapileshwar Mishra, L.R.D.C., East, Muzaffarpur	Muzaffarpur (E) Subdivision
4.	Sri Rabindranath Prasad Singh, L.R.D.C., West, Muzaffarpur	Muzaffarpur (W) Subdivision

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

---

25 फरवरी 2015

सं० 73 नि0:— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–13 की उप–धारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ–3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का वि"ोष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा–261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
1	2	3
1.	श्री कयूम अंसारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा	छपरा सदर अनुमण्डल
2.	श्री विनोद कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, छपरा	छपरा सदर अनुमण्डल
3.	श्री मनीष शर्मा, अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौड़ा	मढ़ौड़ा अनुमण्डल
4.	श्री विनय कुमार साह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मढ़ौड़ा	मढ़ौड़ा अनुमण्डल
5.	श्री शैलेन्द्र कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सोनपुर	सोनपुर अनुमण्डल

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 25th February 2015

No. **73 A**: — In exercise of the powers conferred upon the High Court under Sub-Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Kayum Ansari, S.D.O., Sadar, Chapra	Chapra Sadar Subdivision
2.	Sri Vinod Kumar, L.R.D.C., Sadar, Chapra	Chapra Sadar Subdivision
3.	Sri Manish Sharma, S.D.O., Marhaura	Marhaura Subdivision
4.	Sri Vinay Kumar Sah, L.R.D.C., West, Marhaura	Marhaura Subdivision
5.	Sri Shailendra Kumar, L.R.D.C., Sonepur	Sonepur Subdivision

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

---

25 फरवरी 2015

सं० 74 नि0:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा—13 की उप—धारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ—2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ—3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा—261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
1	2	3
1.	श्री शाहिद परवेज, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी	मधुबनी
2.	श्रीमति राखी कुमारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, मधुबनी	मधुबनी
3.	मो0 तारिक इकबाल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	मधुबनी
4.	श्री अरविन्द कुमार झा, वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी	मधुबनी
5.	मो0 नौशाद अहमद, वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी	मधुबनी
6.	मो0 अतीकुद्दीन, वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी	मधुबनी
7.	श्री दिनेश कुमार मंडल, वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी	मधुबनी
8.	श्री जनक कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी	मधुबनी
9.	श्री गिरिजेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी	मधुबनी
10.	श्री विनोद कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी	मधुबनी
11.	श्री नरेश झा, वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी	मधुबनी
12.	श्री सत्य प्रकाश, वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी	मधुबनी
13.	श्री पंकज कुमार गुप्ता, वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी	मधुबनी
14.	श्री कुमार सत्येन्द्र यादव, वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी	मधुबनी
15.	श्री अशोक कुमार गुप्ता, वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी	मधुबनी
16.	श्री राकेश कुमार गुप्ता, वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी	मधुबनी
17.	श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर	जयनगर
18.	श्री रोहित कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जयनगर	जयनगर
19.	श्री ए0 के0 पंकज, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपट्टी	बेनीपट्टी
20.	श्री विजय कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास	फुलपरास
21.	श्री ललित भूषण रंजन, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फुलपरास	फुलपरास
22.	श्री रविश किशोर, अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर	झंझारपुर
23.	श्री उमेश कुमार भारती, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, झंझारपुर	झंझारपुर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 25th February 2015

No. **74 A** :— In exercise of the powers conferred upon the High Court under Sub-Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Sahid Perwaz, S.D.O., Sadar, Madhubani	Madhubani Sadar
2.	Smt. Rakhi Kumari, L.R.D.C., Sadar, Madhubani	Madhubani Sadar

Sl. No.	Name of the Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
3.	Md. Tariq Iqbal, District Panchayat Raj Officer, Madhubani	Madhubani
4.	Sri Arvind Kumar Jha, Senior Deputy Collector, Madhubani	Madhubani
5.	Md. Naushad Ahmad, Senior Deputy Collector, Madhubani	Madhubani
6.	Md. Atikuddin, Senior Deputy Collector, Madhubani	Madhubani
7.	Sri Dinesh Kumar Mandal, Senior Deputy Collector, Madhubani	Madhubani
8.	Sri Janak Kumar, Senior Deputy Collector, Madhubani	Madhubani
9.	Sri Grijesh Kumar, Senior Deputy Collector, Madhubani	Madhubani
10.	Sri Vinod Kumar, Senior Deputy Collector, Madhubani	Madhubani
11.	Sri Naresh Jha, Senior Deputy Collector, Madhubani	Madhubani
12.	Sri Satya Prakash, Senior Deputy Collector, Madhubani	Madhubani
13.	Sri Pankaj Kumar Gupta, Senior Deputy Collector, Madhubani	Madhubani
14.	Sri Kumar Satyendra Yadav,Senior Deputy Collector, Madhubani	Madhubani
15.	Sri Ashok Kumar Gupta, Senior Deputy Collector, Madhubani	Madhubani
16.	Sri Rakesh Kumar Gupta, Senior Deputy Collector, Madhubani	Madhubani
17.	Sri Gulam Mustafa Ansari, S.D.O., Jainagar	Jainagar
18.	Sri Rohit Kumar, L.R.D.C., Jainagar	Jainagar
19.	Sri A.K. Pankaj, L.R.D.C., Benipatti	Benipatti
20.	Sri Vijay Kumar, S.D.O., Pulparas	Pulparas
21.	Sri Lalit Bhushan Ranjan, L.R.D.C., Pulparas	Pulparas
22.	Sri Ravish Kishore, S.D.O., Jhanjharpur	Jhanjharpur
23.	Sri Umesh Kumar Bharti, L.R.D.C., Jhanjharpur	Jhanjharpur

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

---

25 फरवरी 2015

सं० 75 नि0:–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–13 की उप–धारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ–3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा–261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
1	2	3
1.	श्री महेश कुमार दास, बि0 प्र0 से0, अनुमण्डल पदाधिकारी, किशनगंज	किशनगंज
2.	श्री मो0 शफीक, बि0 प्र0 से0, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज	किशनगंज
3.	श्रीमति निभा कुमारी, कार्यपाल दंडाधिकारी, किशनगंज	किशनगंज

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 25th February 2015

No.**75 A** :—In exercise of the powers conferred upon the High Court under Sub-Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	**Name of the Officer with designation and place of posting**	**Jurisdiction for which Powers are vested**
1	**2**	**3**
1.	Sri Mahesh Kumar Das, B.A.S., S.D.O., Kishanganj	Kishanganj
2.	Sri md. Shafique,B.A.S., L.R.D.C., Kishanganj	Kishanganj
3.	Smt. Nibha Kumari,Executive Magistrate, Kishanganj	Kishanganj

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

---

25 फरवरी 2015

सं० 76 नि0:— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–13 की उप–धारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ–3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा–261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम सं0	**पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं**	**क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती है।**
1	**2**	**3**
1.	श्री विनय कुमार राय, वरीय उप समाहर्त्ता, कटिहार	कटिहार
2.	मो0 मुर्शीद आलम, जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार	कटिहार
3.	श्री मृत्यूँजय कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	कटिहार
4.	श्री सोमनाथ सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, कटिहार	कटिहार
5.	डॉ0 बिनोद कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार	कटिहार
6.	श्री राकेश रमण, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार	कटिहार
7.	डॉ0 महेन्द्र पाल, अनुमण्डल पदाधिकारी, बारसोई	बारसोई
8.	श्री बृज किशोर चौधरी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मनिहारी	मनिहारी

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 25th February 2015

No. **76 A**:— In exercise of the powers conferred upon the High Court under Sub-Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Vinay Kumar Rai, Senior Deputy Collector, Katihar	Katihar
2.	Md. Murshid Alam, District Transport Officer, Katihar	Katihar
3.	Sri Mritunjay Kumar, District Panchayat Raj Officer, Katihar	Katihar
4.	Sri Somnath Singh, Senior Deputy Collector, Katihar	Katihar
5.	Dr. Binod Kumar, S.D.O., Katihar	Katihar
6.	Sri Rakesh Raman, L.R.D.C., Katihar	Katihar
7.	Dr. Mahendra Pal,S.D.O., Barsoi	Barsoi
8.	Sri Brij Kishore Choudhary,L.R.D.C., Manihari	Manihari

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

---

13 फरवरी 2015

सं० 62 **नि0** :– निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारीयों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को भारतीय रेलवे अधिनियमों के अंतर्गत, उन वादों को जिन्हें वे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम–2, 1974) के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं, के निष्पादन हेतु तालिका स्तम्भ–4 में निहित रेलवे न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी (रेलवे) नियुक्त किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा– 11 की उप–धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में निहित न्यायिक दंडाधिकारी को उनके अपने क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है।

उन्हें उक्त संहिता की धारा–260 के अंतर्गत भारतीय रेलवे अधिनियम में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिये प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अतंर्गत ऐसे वादों में जिनका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारीयों का नाम, पदनाम एवं स्थान जहां वे पदस्थापित हैं।	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिये शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।	रेलवे न्यायालय का स्थान, जहाँ के लिए पदस्थापीत किये जाते हैं।
1	2	3	4
1.	श्री भूपेन्द्र सिंह मुंसिफ, सहरसा	कोशी, दरभंगा, तिरहुत प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल के गंगा नदी के उत्तरी भाग का क्षेत्र और पटना प्रमंडल	बरौनी

क्रम संख्या	पदाधिकारीयों का नाम, पदनाम एवं स्थान जहां वे पदस्थापित हैं।	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिये शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।	रेलवे न्यायालय का स्थान, जहाँ के लिए पदस्थापीत किये जाते हैं।
1	2	3	4
2.	श्रीमती रचना राज, न्यायिक दण्डाधिकारी–सह–अपर मुंसिफ, आरा	भागलपुर प्रमंडल	भागलपुर
3.	श्री राहुल कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी–सह–अपर मुंसिफ, दानापुर	पटना और मगध प्रमंडल	पटना
4.	श्री कुमार ऋषिकेश न्यायिक दण्डाधिकारी–सह–अपर मुंसिफ, बीरपुर	कोशी, दरभंगा, तिरहुत और भागलपुर प्रमंडल	कटिहार
5.	श्री अनुराग कुमार त्रिपाठी न्यायिक दण्डाधिकारी–सह–अपर मुंसिफ, गोपालगंज	पूर्वी और पश्चिम चम्पारण जिला	नरकटियागंज
6.	श्री बिपीन कुमार न्यायिक मुंसिफ, समस्तीपुर	कोशी, दरभंगा, तिरहुत प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल के गंगा नदी के उत्तरी भाग का क्षेत्र।	समस्तीपुर
7.	श्री संजीव कुमार राय न्यायिक दण्डाधिकारी–सह–अपर मुंसिफ, नवादा	पटना और मगध प्रमंडल	गया
8.	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा मुंसिफ, बेगूसराय	पटना, मगध एवं भागलपुर प्रमंडल	किउल

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 13th February 2015

No. 62 A : The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate (Railway) to try cases under the Indian Railways Act at the Railway Court mentioned in column no.4 within the territorial Jurisdiction mentioned against their names in column no.3 of the table, which they are competent to try under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974).

In exercise of Powers conferred under Sub Section 3 of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court are pleased to confer upon the Judicial Magistrates named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the territorial Jurisdictions mentioned against their names in column no.3 of the table.

They are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 1st Class to try summarily the cases under the Indian Railways Act, as are covered under Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such case as they are authorized to try within their territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of the Officers, designation and place of posting	Jurisdiction for which power is being vested	Name of the station to be posted as in the court of Railway Magistrate
1.	2.	3.	4.
1.	Sri Bhupendra Singh Munsif, Saharsa	Koshi, Darbhanga, Tirhut Division, North portion of the river Ganga of Bhagalpur Division and Patna Division.	Barauni
2.	Ms. Rachna Raj Judicial Magistrate-cum-Additional Munsif, Ara	Bhagalpur Division.	Bhagalpur
3.	Sri Rahul Kumar Judicial Magistrate-cum-Additional Munsif, Danapur	Patna and Magadh Division.	Patna
4.	Sri Kumar Rishikesh Judicial Magistrate-cum-Additional Munsif, Birpur	Kosi, Darbhanga, Tirhut and Bhagalpur Division.	Katihar
5.	Sri Anurag Kumar Tripathi Judicial Magistrate-cum-Additional Munsif, Gopalganj	East and West Champaran Districts.	Narkatiaganj
6.	Sri Bipin Kumar Munsif, Samastipur	Kosi, Darbhanga, Tirhut Divisions and part of Bhagalpur Division lying north of the Ganges.	Samastipur
7.	Sri Sanjeev Kumar Rai Judicial Magistrate-cum-Additional Munsif, Nawadah	Patna and Magadh Division.	Gaya
8.	Sri Suvash Chandra Sharma Munsif, Begusarai	Patna, Magadh and Bhagalpur Division.	Kiul

By order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 06—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचनाएँ

22 सितम्बर, 2014

सं० निग/सारा–4 (पथ) आरोप–30/2014–9185 (एस)–श्री अंजनी कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में गरँहा–हथौड़ी पथ के निर्माण कार्य में पायी गयी निम्न त्रुटियों यथा–(i) पथ के पहले एवं दूसरे culvert में निर्मित wingwall का alignment एवं PCC casting proper नहीं रहने तथा दूसरे culverts के एक साइड का wing wall, abutment के नजदीक Tilted रहने (ii) culverts के approach में मिट्टी कार्य का compaction layer wise नहीं करने (iii) सभी culverts में Railing approach slab कार्य शेष रहने के लिए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक–716 (ई) अनु0 दिनांक 06.02.12 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक–46 अनु0 दिनांक 29.02.12 के तकनीकी समीक्षोपरांत आरोप संख्या–1 को प्रमाणित तथा शेष दो आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

2. तदआलोक में श्री अंजनी कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

7 सितम्बर, 2014

सं0 निग/सारा–4 (पथ) आरोप–34/2014–9588(एस)–पथ प्रमंडल,पूर्णियाँ अन्तर्गत पूर्णियाँ–कदवा–सोनैली –आजमनगर–आबादपुर पथ के कि0मी0 10 एवं 14 में कराये गये कार्य की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2 द्वारा दिनांक 01.05.10 से 03.05.10 तक स्थल जाँच कर अपने पत्रांक–143 अनु0 दिनांक 25.05.10 द्वारा प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं पत्रांक–251 दिनांक–03.09.10 द्वारा समर्पित गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन में विभागीय समीक्षोपरांत पायी गयी निम्न त्रुटियों/अनियमितताओं यथा–(i) पथ के कि0मी0 10 में कराये गये SDBC एवं BM कार्य का औसत FDD क्रमशः 1.92gm/cc एवं 2.16gm/cc पाया गया है, जबकि प्रावधान क्रमशः 2.30gm/cc तथा 2.20gm/cc का है। (ii) पथ के कि0मी0 10 में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.58 प्रतिशत पायी गयी है जबकि प्रावधान

न्यूनतम 5 प्रतिशत का है। (iii) पथ के कि0मी0 10 में कराये गये BM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.71 प्रतिशत पायी गयी है, जबकि प्रावधान न्यूनतम 3.30 प्रतिशत का है। (iv) पथ के कि0मी0 14 में कराये गये SDBC एवं BM कार्य का FDD क्रमशः 1.89gm/cc पायी गयी है जबकि प्रावधान क्रमशः 2.30gm/cc तथा 2.20gm/cc का है। (v) पथ के कि0मी0 14 में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.64 प्रतिशत पायी गयी है, जबकि प्रावधान न्यूनतम 5 प्रतिशत का है। (vi) पथ के कि0मी0 14 में कराये गये BM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.69 प्रतिशत पायी गयी है, जबकि प्रावधान न्यूनतम 3.30 प्रतिशत का है, के लिए श्री अरूण कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ, कार्य अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना, प्रतिनियुक्त मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक–16290 (एस) दिनांक 07.12.10 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण पत्रांक–शून्य दिनांक 02.02.11 में मूल रूप में अंकित किया है कि जाँच दल द्वारा कार्य समाप्ति के लगभग 10 माह के बाद सैम्पुल एक कर जाँच किया गया, साथ ही Hot mix plant से स्थल पर mix लाने पर दूरी के कारण एवं स्थल पर चपाई के बाद एक लंबे अरसे के बाद लिये गये सैम्पुल से Bitumen content का आकलन सही नहीं है एवं समयातंराल के कारण उपयोग किये गये बिटुमेन में अंतर आना स्वाभाविक है।

पथ कार्य संवेदक द्वारा समाप्त करने के बाद त्रुटि दायित्व अवधि में पथ की स्थिति अच्छी रहने के कारण संवेदक को कोई कार्य नहीं करना पड़ा जबकि पथ में भारी वाहनों का आवागमन अत्यधिक है। उक्त के आलोक में अपने स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 3. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के विभागीय/तकनीकी समीक्षोपरांत संशोधित मान्यदंड के आधार पर यह पाया गया कि उक्त पथ के कि0मी0 10 एवं 14 में कराये गये SDBC कार्य के FDD में कमी पायी गयी साथ ही BM एवं SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा भी विभाग द्वारा निर्धारित टोलरेन्स से काफी कम पायी गयी।

4. उक्त तकनीकी समीक्षा के आलोक में श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए इन्हें निम्न दंड संसूचित करने का निर्णय लिया जाता है :–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

21 अक्टूबर, 2014

सं0 निग/सारा–6 (आरोप) द0बि0 (ग्रा0)–41/07 (फोल्डर–1)–10195(एस)–श्री अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, गोह प्रखंड, औरंगाबाद सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के द्वारा एन0आर0ई0पी0, गोह प्रखंड, औरंगाबाद के पदस्थापन काल में निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हाथ ₹6,000.00 रिश्वत लेते गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–47/07 दर्ज किये जाने के आलोक में इन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या–6087 (एस) दिनांक 15.05.07 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (2) के तहत निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक–11886 (एस) अनु0 दिनांक 09.10.07 द्वारा विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अधीन संचालित की गयी थी जिसमें प्रमाणित आरोप के लिए अधिसूचना संख्या–5024 (एस) दिनांक 18.06.14 द्वारा तत्कालीक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया।

2. श्री सिंह द्वारा उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध पत्रांक–शून्य दिनांक 15.07.14 द्वारा अपने बर्खास्तगी के विरूद्ध माननीय राज्यपाल महोदय, बिहार, पटना के माध्यम से अपील आवेदन समर्पित किया गया जिसमें अपने बर्खास्तगी को नियम विरूद्ध बताते हुए आदेश संख्या–5024 (एस) दिनांक 18.06.14 को रद्द करते हुए निगरानी न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश होने तक इसे स्थगित रखने का आग्रह किया है। श्री सिंह ने अपने अपील आवेदन में अंकित किया है कि विभागीय कार्यवाही में अभियुक्त की तरफ से गवाहों का प्रति परीक्षण करने का मौका नहीं दिया गया जो न्यायसंगत नहीं हैं साथ हीं, उन्होंने यह भी अंकित किया है कि इस विषय से संबंधित मामला विशेष न्यायालय, निगरानी में विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में विभाग द्वारा बर्खास्तगी का एक पक्षीय आदेश निर्गत करना नियमयुक्त नहीं है।

3. श्री सिंह द्वारा समर्पित अपील आवेदन दिनांक 15.07.14 में उनका कहना है कि निगरानी न्यायालय में मामले के लंबित रहने तक बर्खास्तगी के आदेश को स्थगित रखा जाय, नियमयुक्त नहीं हैं क्योंकि बर्खास्तगी का आदेश विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्गत किया गया है।

4. अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री अशोक कुमार सिंह, सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, गोह प्रखंड, औरंगाबाद सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के अपील आवेदन पत्रांक–शून्य दिनांक 15.07.14 को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

23 सितम्बर, 2014

सं0 निग/सारा–1 (पथ) आरोप–43/14–9249 (एस)–श्री अवधेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई के विरूद्ध E-Tendring के दौरान कुल 4 योजनाओं में निविदा के निष्पादन में अनियमितता बरतने के आरोप में विभागीय कार्यवाही के संचालन के साथ–साथ श्री कुमार को विभागीय कार्यवाही से दोषमुक्त नहीं होने तक अकार्य कोटि में पदस्थापित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

2. तदआलोक में श्री अवधेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई को विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त होने तक अकार्य कोटि में पदस्थापित करने का निर्णय लिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

17 सितम्बर, 2014

सं० निग/सारा–4 (पथ) आरोप–48/2014–9993 (एस)–'श्री बाल कृष्ण सिंह, वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत रून्नी सैदपुर–कटरा–केवटसा पथ के कि0मी0 26.15 में निर्माणाधीन पुल, जो क्षतिग्रस्त हो गया, से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करने के कारण इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (ग) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जा रहा है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

17 सितम्बर, 2014

सं० निग/सारा–1–24/06–9012 (एस)–श्री बल्लभ प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ के अन्तर्गत बिहार–दनियावाँ पथ के कि0मी0 40 में आर्च पुल के स्थान पर आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण से संबंधित दायित्व सृजन के मामले में वादी संवेदक श्री विश्वनाथ प्रसाद द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0सं0–8834/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शुद्ध सहित मूल राशि भुगतान करने एवं दोषी पदाधिकारियों से राशि की वूसली के आदेश के आलोक में लंबी अवधि के पश्चात दावा अनुशंसा करने, निर्धारित प्रतिशत में निर्माण कार्य की जाँच नहीं करने तथा कार्य मदों की मात्रा में बढ़ोतरी की स्वीकृति की अनुशंसा के आरोप के लिए संकल्प ज्ञापांक–4699 (एस) दिनांक 04.04.07 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–618 दिनांक 09.05.08 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित एक मात्र आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित माना गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–4745 (एस) दिनांक 14.06.13 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई ।

2. श्री बल्लभ प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर कई स्मारों के बाद भी समर्पित नहीं किया गया। तत्पश्चात सम्पूर्ण प्रकरण के समीक्षोपरांत श्री प्रसाद के पेंशन से 3 प्रतिशत की कटौती तथा ₹38,402.00 की वूसली के दंड पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया। विभागीय पत्रांक–3481 (एस) अनु0 दिनांक 05.05.14 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श की मांग की गयी।

3. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–765 दिनांक 30.06.14 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णित दंड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। अतएव श्री बल्लभ प्रसाद, सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप के लिए उन्हें निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(I) इनकी पेंशन से 3 प्रतिशत की कटौती की जाती है

(ii) इनसे ₹38,402.00 (अड़तीस हजार चार सौ दो रूपये) की वसूली की जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

16 अक्टूबर, 2014

सं० निग/सारा–4 (पथ) आरोप–48/2014–9995 (एस)–श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, तत्कालीन वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान के तकनीकी सलाहकार, पटना द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत रून्नी सैदपुर–कटरा–केवटसा पथ के कि0मी0 26.15 में निर्माणाधीन पुल, जो क्षतिग्रस्त हो गया, से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करने के कारण इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (ग) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जा रहा है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

17 अक्टूबर, 2014

सं0 निग/सारा–4–(पथ)–50/07–10064 (एस)–श्री इन्द्रजीत कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता–सह–आप्त सचिव, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पथ प्रमंडल, समस्तीपुर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए विभागीय पत्रांक–6541 (एस) दिनांक 25.05.07 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री कुमार द्वारा पत्रांक–1296 अनु0 दिनांक–12.06.07 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1215 (एस) दिनांक 24.02.09 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त का पत्रांक–2561 दिनांक 25.04.14 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित कुल 11 आरोपों में से आरोप संख्या–7 को प्रमाणित एवं शेष 10 आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–6197 (एस) अनु0 दिनांक–09.07.14 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री कुमार ने पत्रांक–182 (गो0) दिनांक 15.07.14 द्वारा अपना कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया। श्री कुमार ने अपने कारण पृच्छा उत्तर में मूल रूप से अंकित किया है कि–उड़नदस्ता दल द्वारा कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं पायी गयी है। उक्त पथ में अप्रत्याशित बाढ़ के कारण कार्य को ससमय पूर्ण नहीं किया जा सका। अतः उनके द्वारा कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती गयी है। उक्त के आलोक में उन्होंने स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

2. श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की विभागीय समीक्षा में मात्र कार्य को ससमय पूर्ण नहीं होने के आरोप में सत्यता परिलक्षित हुई।

3. तदआलोक में श्री इन्द्रजीत कुमार, अधीक्षण अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए सरकार के निर्णयानुसार निम्न दंड संसूचित किया जाता हैं :–

(i) इन्हें चेतावनी की सजा दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

28 अक्टूबर, 2014

सं0 निग/सारा–1 (पथ)–63/2012–टिप्पणी भाग–10392 (एस)–श्री कमल किशोर सिन्हा, तत्कालीन सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सहायक निदेशक, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा पथ प्रमंडल, नवादा के पदस्थापन काल के दौरान वारसलीगंज–पकरीवरावाँ पथ में कराये गये कार्य की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–1 द्वारा किया गया तथा पत्रांक–26 अनु0 दिनांक 04.02.10 द्वारा समर्पित प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं पत्रांक–131 (अनु0) दिनांक 20.05.10 द्वारा समर्पित गुणवत्ता प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उक्त पथ के कि0मी0 4 में कराये गये बी0एम0 कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा प्रावधानित न्यूनतम 3.30 प्रतिशत के विरूद्ध 2.44 प्रतिशत पाये गये एक मात्र आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1668 (एस) अनु0 दिनांक 01.03.13 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–5441 (ई) अनु0 दिनांक 30.08.13 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित एक मात्र आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि विभागीय कार्यवाही के प्रतिवेदन में यह अंकित है कि जाँचफल तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियंता, श्री रामचन्द्र पासवान से हस्ताक्षरित है। जब गुण नियंत्रण के प्रभारी श्री सिन्हा थे जो जाँचफल पर उनका हस्ताक्षर होना चाहिए था। जाँचफल पर हस्ताक्षर नहीं होना श्री सिन्हा के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। साथ हीं, जाँचाधीन कार्य श्री सिन्हा के पदस्थापन अवधि में ही हुआ तथा किया गया कार्य त्रुटिपूर्ण पाया गया। इस आधार पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–1456 (एस) दिनांक 20.02.14 द्वारा श्री सिन्हा से द्वितीय काराण पृच्छा की गयी।

3. श्री सिन्हा के द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक 07.03.14 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा आलोच्य पथ के कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों की प्रयोगशाला जाँच न तो की गयी और न उनके द्वारा कोई जाँचफल पथ प्रमंडल, नवादा को समर्पित किया गया था।

4. श्री सिन्हा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की विभागीय समीक्षा में श्री सिन्हा का द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर तर्क संगत नहीं पाया गया क्योंकि जब श्री सिन्हा सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण के पद पर कार्यरत थे तो उनका यह दायित्व था कि पथ निर्माण में जो सामग्रियाँ लगायी जा रही थी, वह प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप थी अथवा नहीं इसका पर्यवेक्षण श्री सिन्हा को करना था।

5. श्री कमल किशोर सिन्हा, तत्कालीन सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण पथ अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सहायक निदेशक, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, पटना के द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को मान्य नहीं पाते हुए सरकार के निर्णय के आलोक में इन्हें निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) इनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक लगायी जाती है,

(ii) वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिए निन्दन।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

22 अक्टूबर, 2014

सं0 निग/सारा–4–(पथ) आरोप–128/13–10238(एस)–कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–3 द्वारा पथ प्रमंडल, समस्तीपुर अन्तर्गत कर्पूरी ग्राम–पितौझिया रेलवे स्टेशन पथ, समस्तीपुर–सरायरंजन–पटोरी पथ एवं ताजपुर–पूसा–गढ़िया पथ की जाँच कर अपने पत्रांक–11 अनु0 दिनांक 28.02.07 द्वारा प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं पत्रांक–60 अनु0 दिनांक 18.06.07 के माध्यम से गुणवत्ता प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत पायी गयी त्रुटियों यथा–समस्तीपुर–सरायरंजन–पटोरी पथ के कि0मी0 25 एवं 31 में डब्लू0बी0एम0 Gr-II कार्य में प्रयुक्त स्टोन मेटल (एग्रीगेट) विभिन्न चलनियों पर क्रमशः 10.52 एवं 9.77 प्रतिशत अन्डर साईज पाये गये जबकि निर्धारित टोलरेन्स 7.5 प्रतिशत है, के लिए श्री कासिम अंसारी, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक–2531 (एस) दिनांक 22.02.08 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री अंसारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर पत्रांक–248 अनु0 दिनांक 24.11.08 में मूल रूप सें अंकित किया है कि पथ बेलन की चपाई एवं नमूने के निकालने में मेटल की कटाई में मेटल में टूट होती है। ऐसी स्थिति में इस तरह का सामान्य अंतर सम्पादित पथ परत काटकर नमूना निकालने पर किया गया सीभ एनालिसिस में इस तरह का अंतर आना स्वभाविक है। साथ हीं उक्त कार्य कराने के पूर्व प्रमंडलाधीन गुण नियंत्रण इकाई से जाँच करायी गयी एवं ग्रेडिंग में जाँचफल विशिष्टि के अनुरूप पाये जाने पर ही स्थल पर एकत्र मेटल का उपयोग Gr-II परत में किया गया था। उक्त के आधार पर श्री अंसारी ने आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया। श्री अंसारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के विभागीय समीक्षोपरांत ग्रेडिंग में पायी गयी विचलन के लिए उन्हें दोषी माना गया।

2. तदआलोक में श्री कासिम अंसारी, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता हैं :–

(i) इन्हें आरोप वर्ष 07–08 के लिए निन्दन की सजा दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

7 अक्टूबर, 2014

सं0 निग/सारा–4(पथ)आरोप–34/2014–9590(एस)–पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत पूर्णियाँ–कदवा–सोनैली–आजमनगर–आबादपुर पथ के कि0मी0 10 एवं 14 में कराये गये कार्य की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2 द्वारा दिनांक 01.05.10 से 03.05.10 तक स्थल जाँच कर अपने पत्रांक–143 अनु0 दिनांक 25.05.10 द्वारा प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं पत्रांक–251 दिनांक 03.09.10 द्वारा समर्पित गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन में विभागीय समीक्षोपरांत पायी गयी निम्न त्रुटियों/अनियमितताओं यथा–(i) पथ के कि0मी0 10 में कराये गये SDBC एवं BM कार्य का औसत FDD क्रमशः 1.92gm/cc एवं 2.16gm/cc पाया गया है, जबकि प्रावधान क्रमशः 2.30gm/cc तथा 2.20gm/cc का है। (ii) पथ के कि0मी0 10 में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.58 प्रतिशत पायी गयी है जबकि प्रावधान न्यूनतम 5 प्रतिशत का है। (iii) पथ के कि0मी0 10 में कराये गये BM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.71 प्रतिशत पायी गयी है, जबकि प्रावधान न्यूनतम 3.30 प्रतिशत का है। (iv) पथ के कि0मी0 14 में कराये गये SDBC एवं BM कार्य का FDD क्रमशः 1.89gm/cc पायी गयी है जबकि प्रावधान क्रमशः 2.30gm/cc तथा 2.20gm/cc का है। (v) पथ के कि0मी0 14 में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.64 प्रतिशत पायी गयी है, जबकि प्रावधान न्यूनतम 5 प्रतिशत का है। (vi) पथ के कि0मी0 14 में कराये गये BM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.69 प्रतिशत पायी गयी है, जबकि प्रावधान न्यूनतम 3.30 प्रतिशत का है, के लिए श्री नवल किशोर शरण, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर से विभागीय पत्रांक–16288 (एस) दिनांक 07.12.10 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री शरण ने अपने स्पष्टीकरण पत्रांक–1419 दिनांक 23.10.13 में मूल रूप में अंकित किया है कि जाँच दल द्वारा कार्य समाप्ति के लगभग 10 माह के बाद सैम्पुल एक कर जाँच किया गया, साथ ही Hot mix plant से स्थल पर mix लाने पर दूरी के कारण एवं स्थल पर चपाई के बाद एक लंबे अरसे के बाद लिये गये सैम्पुल से Bitumen content का आकलन सही नहीं है एवं समयातंराल के कारण उपयोग किये गये बिटुमेन में अंतर आना स्वाभाविक है।

पथ कार्य संवेदक द्वारा समाप्त करने के बाद त्रुटि दायित्व अवधि में पथ की स्थिति अच्छी रहने के कारण संवेदक को कोई कार्य नहीं करना पड़ा जबकि पथ में भारी वाहनों का आवागमन अत्यधिक है। उक्त के आलोक में अपने स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3. श्री शरण द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के विभागीय/तकनीकी समीक्षोपरांत संशोधित मान्यदंड के आधार पर यह पाया गया कि उक्त पथ के कि0मी0 10 एवं 14 में कराये गये SDBC कार्य के FDD में कमी पायी गयी साथ ही BM एवं SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा भी विभाग द्वारा निर्धारित टोलरेन्स से काफी कम पायी गयी।

4. उक्त तकनीकी समीक्षा के आलोक में श्री शरण के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए इन्हें निम्न दंड संसूचित करने का निर्णय लिया जाता है :–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

28 अक्टूबर, 2014

सं0 निग/सारा–9 (आरोप)–96/2010–10390 (एस)–श्री राधाकृष्ण प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, हजारीबाग सम्प्रति निलंबित को सी0बी0आई0 कांड संख्या–आर0सी0 13 (ए)/09 (आर0) में विशेष न्यायाधीश सी0बी0आई0 न्यायालय द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्गत सम्मन की अवहेलना के आरोप के लिए अधिसूचना संख्या–4131 (एस) दिनांक 07.04.11 द्वारा निलंबित किया गया तथा श्री प्रसाद सम्प्रति निलंबन में हैं। सी0बी0आई0, राँची के पत्रांक–5900 दिनांक 22.11.13 से प्राप्त सूचना के संबंध में श्री प्रसाद द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के आलोक में उनको देय जीवन निर्वाह भत्ता में विभागीय पत्रांक–150 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–151 (एस) दिनांक 06.01.14 द्वारा 50 प्रतिशत की कटौती की गयी।

2. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदनों के अवलोकनोपरांत नियमित जमानत प्राप्त करने तथा निलंबन अवधि 3 वर्ष से अधिक होने के आलोक में श्री राधाकृष्ण प्रसाद, सहायक अभियंता सम्प्रति निलंबित के जीवन निर्वाह भत्ता को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

10 अक्टूबर, 2014

सं0 निग/सारा–2 (परिवाद)–4/2012–9748 (एस)–श्री राज नारायण चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, रूपांकण–सह–यांत्रिक अंचल, गंगा पुल परियोजना, पथ निर्माण विभाग, पटना सम्प्रति मुख्य अभियंता के सचिव (प्रा0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा को दिनांक 10.02.12 को समय पर कार्यालय नहीं आने एवं श्री राहुल राजा, निम्न वर्गीय लिपिक को प्रोन्नति नहीं देने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–2635 (एस) दिनांक 07.03.12 द्वारा निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध दो आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5728 (एस) अनु0 दिनांक 24.05.12 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री चौधरी द्वारा निलंबन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0सं0–18578/12 दायर किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 19.10.12 को पारित आदेश के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–2635 (एस) दिनांक 07.03.12 के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। इसके आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–1183–सहपठित ज्ञापांक–1184 (एस) दिनांक 14.02.13 द्वारा पूर्व निर्गत निलंबन आदेश अधिसूचना संख्या–2635 (एस) दिनांक 07.02.12 को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया।

3. गठित आरोपों के संबंध में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1243 (अनु0) दिनांक 21.02.14 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमे श्री चौधरी के विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री राजनारायण चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, रूपांकण–सह–यांत्रिक अचंल, गंगा पुल परियोजना, पथ निर्माण विभाग, पटना को आरोप से मुक्त करते हुए निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुए उक्त अवधि का पूर्ण भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

7 अक्टूबर, 2014

सं0 उ0प्र0–53/2010–9586 (एस)–श्री रजनीश रमण, तत्कालीन सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, आरा द्वारा सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना पदस्थापन काल के दौरान डाक बंगला से पटना हाईकोर्ट होते हुए बोरिंग रोड चौराह तक पथ के कि०मी०–2 में कराये गये डी०बी०एम० कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा प्रावधानित न्यूनतम 4 प्रतिशत के स्थान पर 3. 43 प्रतिशत पाये जाने के आरोप के लिए संकल्प ज्ञापांक–5860 (एस) दिनांक 28.05.2012 द्वारा संचालित की गयी विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री रमण के विरूद्ध गठित आरोप को इस आधार पर प्रमाणित नहीं माना गया कि कार्यालय आदेश संख्या–349 दिनांक 02.12.2010 की कंडिका–2 (iii) दिये गये निदेश के अनुरूप उड़नदस्ता द्वारा प्रथम कि०मी० में जाँच की गयी परन्तु दूसरे कि०मी० में किये गये जाँच का कारण इंगित नहीं किया गया। साथ ही दूसरे कि०मी० में मात्र 2 सेक्शन पर 2–2 नमूना संग्रह किया गया जबकि मानक जाँच हेतु तीन स्थानों से नमूना का संग्रह संगत एवं श्रेयस्कर था।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि विभागीय पत्रांक–2760 दिनांक 29.07.2009 द्वारा सभी उड़नदस्ता प्रमंडलों को किलोमीटरवार जाँचकर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था जिसमें आंशिक रूप संशोधन कर कार्यालय आदेश सं०–349 दिनांक 02.12.2010 निर्गत किया गया है। उक्त कार्यालय आदेश के क्रमांक 2 (ii) में उल्लेख है कि जाँच के क्रम में एक कि०मी० में तीन क्रास सेक्शन तथा प्रत्येक क्रास सेक्शन के एक बिन्दु से नमूना आवश्यक संग्रहित किया जाय अर्थात एक किलोमीटर में कम–से–कम तीन नमूना अवश्य संग्रहित किया जाय। विदित हो कि पथ के कि०मी० 2 में मात्र 85 मी० DBM का कार्य कराया गया था जिसमें जाँच पदाधिकारी द्वारा कुल चार नमूना संग्रहित किया गया है जो नियमानुकूल एवं पर्याप्त है। उक्त चार नमूनों में अलकतरा की औसत मात्रा 3.43 प्रतिशत पायी गयी है जो विभाग द्वारा निर्धारित Tolerance 3.57% से कम है।

3. अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर श्री रमण से विभागीय पत्रांक–4037 (एस) अनु0 दिनांक 21.05.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री रमण के पत्रांक–शून्य दिनांक 28.05.13

द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में मुख्य रूप से उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया जिसका उल्लेख संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–2089 अनु0 दिनांक 05.11.12 में किया गया है।

4. श्री रमण के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को मान्य नहीं पाते हुए सरकार के निर्णय के आलोक में इन्हें निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) इन्हें दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक की सजा दी जाती है

(ii) आरोप वर्ष 2010–11 के लिए निन्दन।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

17 अक्टूबर 2014

सं0 निग/सारा–4 (पथ) आरोप–66/13–10068 (एस)–पथ प्रमडल, किशनगंज अन्तर्गत किशनगंज–बहादुरगंज पथ के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4 द्वारा करायी गयी एवं उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं गुणवत्ता प्रतिवेदन के आधार पर पायी गयी त्रुटियों/अनियमितताओं यथा–(i) पथ के SDBC सतह में कहीं–कहीं cracks एवं depression पाया गया है। (ii) पथ के कि0मी0 3 में कराये गये WMM कार्य औसत मुटाई 169 एम0एम0 पायी गयी है जबकि प्रावधान 200 एम0एम0 का है। (iii) पथ के कि0मी0 15 में कराये गये WMM कार्य की औसत मुटाई 166 एम0एम0 पायी गयी है जबकि प्रावधान 200 एम0एम0 का है, के लिए श्री सदानन्द चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति पदस्थापन की प्रतिक्षा में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक–8756 (एस) अनु0 दिनांक 14.11.13 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री चौधरी ने अपने स्पष्टीकरण पत्रांक–शून्य दिनांक 29.11.13 में मूल रूप से अंकित किया है कि पथ परत की मुटाई में अत्यधिक भार वाले वाहनों के यातायात के लिए पर्याप्त नहीं होने के कारण depression आना स्वाभाविक है फिर भी cracks एवं depression का सुधार संवेदक के व्यय पर करा दिया गया है। पथ के कि0मी0 3 में कराये गये WMM कार्य के संबंध में अंकित किया है कि संवेदक के माध्यम से पूर्ण विशिष्टियों के अनुरूप एवं एकरारनामा के शर्त्तों के अनुसार कार्य करायी गयी है। पथ के कि0मी0 15 में कराये गये WMM कार्य की औसत मुटाई के संबंध में पथ के कि0मी0 3 में कराये गये WMM कार्य के संबंध में अंकित स्थिति को ही दुहराया गया है। उक्त के आधार पर स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3. श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण के विभागीय तकनीकी समीक्षोपरांत पाया गया कि पथ के कि0मी0 3 में WMM कार्य की औसत मुटाई 169 एम0एम0 पायी गयी जबकि प्रावधान 200 एम0एम0 का है जो निर्धारित टोलरेन्स से कम है। इसी प्रकार पथ के कि0मी0 15 में औसत मुटाई 166 एम0एम0 पाया गया जबकि प्रावधान 200 एम0एम0 का है जो निर्धारित टोलरेन्स से कम है। पथ के SDBC सतह में पाये गये cracks एवं depression के संबंध में श्री चौधरी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई फोटोग्राफ/साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया, इस कारण उनका यह कहना की पाये गये cracks एवं depression का सुधार संवेदक के व्यय से करा दिया गया है सही प्रतीत नहीं होता है।

4. उक्त आधार पर श्री सदानन्द चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति पदस्थापन की प्रतिक्षा में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त स्पष्टीकरण पत्रांक–शून्य दिनांक 29.11.13 को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए सरकार के निर्णय के आलोक में निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

22 अक्टूबर, 2014

सं0 निग/सारा–4–(पथ) आरोप–128/13–10236 (एस)–कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–3 द्वारा पथ प्रमंडल, समस्तीपुर अन्तर्गत कर्पूरी ग्राम–पितौझिया रेलवे स्टेशन पथ, समस्तीपुर–सरायरंजन–पटोरी पथ एवं ताजपुर–पूसा–गढ़िया पथ की जाँच कर अपने पत्रांक–11 अनु0 दिनांक 28.02.07 द्वारा प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं पत्रांक–60 अनु0 दिनांक–18.06.07 के माध्यम से गुणवत्ता प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत पायी गयी त्रुटियों यथा–समस्तीपुर–सरायरंजन–पटोरी पथ के कि0मी0 25 एवं 31 में डब्लू0बी0एम0 Gr-II कार्य में प्रयुक्त स्टोन मेटल

(एग्रीगेट) विभिन्न चलनियों पर क्रमशः 10.52 एवं 9.77 प्रतिशत अन्डर साईज पाये गये जबकि निर्धारित टोलरेन्स 7.5 प्रतिशत है, के लिए श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, समस्तीपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, गुण नियंत्रक अवर प्रमंडल, मुँगेर से विभागीय पत्रांक–255 (ई) दिनांक 18.01.10 स्पष्टीकरण की मांग की गयी ।

2. श्री कुमार ने अपने पत्रांक–शून्य दिनांक 17.01.14 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मूल रूप से अंकित किया कि यह त्रुटि कार्य के कार्यान्वयन से संबंधित है जिससे प्रत्यक्ष/प्ररोक्ष मेरा कोई संबंध गुण नियंत्रण सहायक अभियंता के रूप में नहीं है । उक्त आधार पर आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है । श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के विभागीय समीक्षोपरांत ग्रेडिंग में पायी गयी विचलन के लिए उन्हें दोषी पाया गया ।

3. तदआलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, समस्तीपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, मुँगेर के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता है ।

(i) इन्हें आरोप वर्ष 07–08 के लिए निन्दन की सजा दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

22 सितम्बर, 2014

सं० निग/सारा–4 (पथ) आरोप–30/2014–9183 (एस)–श्री सत्येन्द्र सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पटना पश्चिम द्वारा पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में गरँहा–हथौड़ी पथ के निर्माण कार्य में पायी गयी निम्न त्रुटियों यथा–(i) पथ के पहले एवं दूसरे culvert में निर्मित wingwall का alignment एवं PCC casting proper नहीं रहने तथा दूसरे culverts के एक साइड का wing wall, abutment के नजदीक Tilted रहने (ii) culverts के approach में मिट्टी कार्य का compaction layer wise नहीं करने (iii) सभी culverts में Railing approach slab कार्य शेष रहने के लिए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक–717 (ई) अनु0 दिनांक 06.02.12 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक–637 दिनांक 15.03.12 के तकनीकी समीक्षोपरांत आरोप संख्या–1 को प्रमाणित तथा शेष दो आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

2. तदआलोक में श्री सत्येन्द्र सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पटना पश्चिम को प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

17 अक्टूबर, 2014

सं0 निग/सारा–4 (पथ) आरोप–66/13–10062 (एस)–पथ प्रमडल, किशनगंज अन्तर्गत किशनगंज–बहादुरगंज पथ के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4 द्वारा करायी गयी एवं उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं गुणवत्ता प्रतिवेदन के आधार पर पायी गयी त्रुटियों/अनियमितताओं यथा–(i) पथ के SDBC सतह में कहीं–कहीं cracks एवं depression पाया गया है। (ii) पथ के कि0मी0 3 में कराये गये WMM कार्य औसत मुटाई 169 एम0एम0 पायी गयी है जबकि प्रावधान 200 एम0एम0 का है। (iii) पथ के कि0मी0 15 में कराये गये WMM कार्य की औसत मुटाई 166 एम0एम0 पायी गयी है जबकि प्रावधान 200 एम0एम0 का है, के लिए श्री सुभाष चन्द्र श्रीहर्ष, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति पदस्थापन की प्रतिक्षा में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक–8755 (एस) अनु0 दिनांक 14.11.13 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री हर्ष ने अपने स्पष्टीकरण पत्रांक–शून्य दिनांक 29.11.13 में मूल रूप से अंकित किया है कि पथ परत की मुटाई में अत्यधिक भार वाले वाहनों के यातायात के लिए पर्याप्त नहीं होने के कारण depression आना स्वाभाविक है फिर भी cracks एवं depression का सुधार संवेदक के व्यय पर करा दिया गया है। पथ के कि0मी0 3 में कराये गये WMM कार्य के संबंध में अंकित किया है कि संवेदक के माध्यम से पूर्ण विशिष्टियों के अनुरूप एवं एकरारनामा के शर्त्तों के अनुसार कार्य करायी गयी है। पथ के कि0मी0 15 में कराये गये WMM कार्य की औसत मुटाई के संबंध में पथ के कि0मी0 3 में कराये गये WMM कार्य के संबंध में अंकित स्थिति को ही दुहराया गया है। उक्त के आधार पर स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3. श्री हर्ष से प्राप्त स्पष्टीकरण के विभागीय तकनीकी समीक्षोपरांत पाया गया कि पथ के कि0मी0 3 में WMM कार्य की औसत मुटाई 169 एम0एम0 पायी गयी जबकि प्रावधान 200 एम0एम0 का है जो निर्धारित टोलरेन्स से कम है। इसी प्रकार पथ के कि0मी0 15 में औसत मुटाई 166 एम0एम0 पाया गया जबकि प्रावधान 200 एम0एम0 का है जो निर्धारित टोलरेन्स से कम है। पथ के SDBC सतह में पाये गये cracks एवं depression के संबंध में श्री हर्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई फोटोग्राफ/साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया, इस कारण उनका यह कहना की पाये गये cracks एवं depression का सुधार संवेदक के व्यय से करा दिया गया है सही प्रतीत नहीं होता है।

4. उक्त आधार पर श्रीहर्ष, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति पदस्थापन की प्रतिक्षा में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त स्पष्टीकरण पत्रांक–शून्य दिनांक 29.11.13 को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए सरकार के निर्णय के आलोक में निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

---

17 अक्टूबर, 2014

सं० निग/सारा–4–(पथ)–आरोप–105/10–10066 (एस)–श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया सम्प्रति सहायक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा पथ प्रमंडल खगड़िया के पदस्थापनकाल में खगड़िया–मुंगेरघाट लिंक पथ के कि0मी0 2 (अंश) में विभिन्न स्थानों पर कराए गए बी0एम0 कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट ओवर साईज पाने एवं उक्त कार्य में प्रयुक्त विटुमेन की मात्रा औसत से कम पाये जाने के लिए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक–12872 (ई) अनु0 दिनांक 11.11.09 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, के0नि0सं0 पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक– शून्य दिनांक– 09.12.09 के विभागीय समीक्षोपरान्त बी0यू0एस0जी0 में 50 प्रतिशत कम विटुमेन प्रयोग करने के लिए कि श्री कुमार को दोषी मानते हुए अधिसूचना सं0–14765 (एस) दिनांक 21.10.10 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :–

(i) एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ii) निन्दन (आरोप वर्ष–2007)।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, के0नि0सं0 पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक–शून्य दिनांक 26.10.10 एवं पत्रांक–शून्य दिनांक 31.05.11 में अंकित किया कि वे खगड़िया मुंगेर घाट लिंक पथ के प्रभार में थे और उक्त पथ में बी0यू0एस0जी0 जाँच नहीं हुई थी जबकि बी0यू0एस0जी0 में 50 प्रतिशत कम बिटुमेन प्रयोग के लिए दंडित किया गया, उक्त आधार पर श्री कुमार द्वारा दंड से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

2. श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार से खगड़िया मुंगेर घाट लिंक पथ के कि0मी0 2 (अंश) में विभिन्न स्थानों पर कराये गये बी0एम0 कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट ओवर साईज पाये जाने एवं उक्त कार्य में प्रयुक्त बिटुमेन की मात्रा औसत से कम पाये जाने के लिए स्पष्टीकरण किया गया था एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत उक्त आरोप को सही पाया गया। अतः सम्यक् समीक्षोपरांत श्री कुमार से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक–शून्य दिनांक 28.10.10 एवं पत्रांक–शून्य दिनांक 31.05.11 को अस्वीकृत किया गया।

3. उक्त आदेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक 26.07.11 समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा कोई ऐसा तथ्य समर्पित नहीं किया गया जो उन्हें अधिरोपित शास्ति को क्षान्त करता हो। तद्आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक–26.07.11 को सरकार के निर्णय के आलोक में अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

7 अक्टूबर, 2014

सं0 निग/सारा–4 (पथ) आरोप–34/2014–9592 (एस)–पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत पूर्णियाँ–कदवा–सोनैली–आजमनगर–आबादपुर पथ के कि0मी0 10 एवं 14 में कराये गये कार्य की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2 द्वारा दिनांक 01.05.10 से 03.05.10 तक स्थल जाँच कर अपने पत्रांक–143 अनु0 दिनांक 25.05.10 द्वारा प्रारंभिक

जाँच प्रतिवेदन एवं पत्रांक–251 दिनांक 03.09.10 द्वारा समर्पित गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन में विभागीय समीक्षोपरांत पायी गयी निम्न त्रुटियों/अनियमितताओं यथा–(i) पथ के कि0मी0 10 में कराये गये SDBC एवं BM कार्य का औसत FDD क्रमशः 1.92gm/cc एवं 2.16gm/cc पाया गया है, जबकि प्रावधान क्रमशः 2.30gm/cc तथा 2.20gm/cc का है। (ii) पथ के कि0मी0 10 में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.58 प्रतिशत पायी गयी है जबकि प्रावधान न्यूनतम 5 प्रतिशत का है। (iii) पथ के कि0मी0 10 में कराये गये BM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.71 प्रतिशत पायी गयी है, जबकि प्रावधान न्यूनतम 3.30 प्रतिशत का है। (iv) पथ के कि0मी0 14 में कराये गये SDBC एवं BM कार्य का FDD क्रमशः 1.89gm/cc पायी गयी है जबकि प्रावधान क्रमशः 2.30gm/cc तथा 2.20gm/cc का है। (v) पथ के कि0मी0 14 में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.64 प्रतिशत पायी गयी है, जबकि प्रावधान न्यूनतम 5 प्रतिशत का है। (vi) पथ के कि0मी0 14 में कराये गये BM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.69 प्रतिशत पायी गयी है, जबकि प्रावधान न्यूनतम 3.30 प्रतिशत का है, के लिए श्री योगेन्द्र पासवान, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, पूर्णियाँ से विभागीय पत्रांक–16293 (एस) दिनांक 07.12.10 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री पासवान ने अपने स्पष्टीकरण पत्रांक–115 दिनांक 20.12.10 में मूल रूप में अंकित किया है कि जाँच दल द्वारा कार्य समाप्ति के लगभग 10 माह के बाद सैम्पुल एक कर जाँच किया गया, साथ ही Hot mix plant से स्थल पर mix लाने पर दूरी के कारण एवं स्थल पर चपाई के बाद एक लंबे अरसे के बाद लिये गये सैम्पुल से Bitumen content का आकलन सही नहीं है एवं समयातंराल के कारण उपयोग किये गये बिटुमेन में अंतर आना स्वाभाविक है।

पथ कार्य संवेदक द्वारा समाप्त करने के बाद त्रुटि दायित्व अवधि में पथ की स्थिति अच्छी रहने के कारण संवेदक को कोई कार्य नहीं करना पड़ा जबकि पथ में भारी वाहनों का आवागमन अत्यधिक है। उक्त के आलोक में अपने स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3. श्री पासवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के विभागीय/तकनीकी समीक्षोपरांत संशोधित मान्यदंड के आधार पर यह पाया गया कि उक्त पथ के कि0मी0 10 एवं 14 में कराये गये SDBCकार्य के FDD में कमी पायी गयी साथ ही BM एवं SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा भी विभाग द्वारा निर्धारित टोलरेन्स से काफी कम पायी गयी।

4. उक्त तकनीकी समीक्षा के आलोक में श्री पासवान के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए इन्हें निम्न दंड संसूचित करने का निर्णय लिया जाता है :–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

गमीण कार्य विभाग

अधिसूचना
30 मार्च 2015

सं0 3 अ0प्र0–1–06/10/963–श्री तारानन्द मेहता, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी(कार्य अवर प्रमंडल, धनरूआ) द्वारा कार्य प्रमंडल, अररिया के अन्तर्गत अपने पदस्थापन काल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत फेज–2(पैकेज संख्या –बी0 आर0–01/03) विनोदपुर से मिर्जापुर पथ निर्माण कार्य में अनियमितता के संबंध में श्री मेहता के विरूद्व आरोप पत्र प्रपत्र'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 4355 सह–पठित ज्ञापांक 4356 दिनांक 06.12.2013 द्वारा अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक 1491 दिनांक 26.05.2014 द्वारा श्री मेहता से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की विभागीय तकनीकी समीक्षोपरान्त श्री तारानन्द मेहता, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी(कार्य अवर प्रमंडल, धनरूआ) को निम्न शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गयाः–

1. संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्वि पर रोक ।
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 06—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in